

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 947वी बैठक दिनांक 30.04.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. सुधीर कुमार कोचर, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/2153/2025	1(a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/1112/2025	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/1056/2025	1(a)	भोपाल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	P2/1062/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
5.	P2/1202/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1828/2025	1(a)	शिवपुरी	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/948/2024	1(a)	मुरैना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
8.	P2/1440/2025	1(a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
9.	P2/1139/2025	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1973/2025	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
11.	P2/1156/2025	1(a)	धार	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/1086/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वीं बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

13.	11093/2023	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	11119/2023	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
15.	P2/1991/2025	8(b)	सागर	एरिया डेव्हलेपमेन्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	P2/1068/2025	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
17.	P2/40/2024	1(a)	सतना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/339/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/345/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	P2/348/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21.	P2/2247/2025	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
22.	P2/1517/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
23.	7669/2020	1(a)	रायसेन	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
24.	P2/984/2024	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
25.	P2/2236/2025	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
26.	P2/1835/2025	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
27.	P2/1823/2025	1(a)	टीकमगढ़	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
28.	5684/2018	1(a)	धार	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नासयण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. **Proposal No.SIA/MP/MIN/560210/2025, Case No. P2/2153/2025** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 Hectare, for Production Capacity of 2800 Cubic Meter/year, at khasra no. 89/1, 90, 91, in Village Palasi Tehsil Narsingharh District Rajgarh (M.P.) by Smt. Shashikala Dhakar W/o Shri Bhawarlal Dhakar, Village - Palashi, Tehsil Narsingharh District Rajgarh (M.P.) 465669

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 एवं 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 एवं 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ द्वारा पत्र क्र. 334 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 27.12.2033 तक) की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.12.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत CTO की वैधता दिनांक 27.12.2021 को समाप्त हो गई है। अतः प्रकरण में नवीन CTO प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा नवीन CTO की एक प्रति प्राधिकरण में भी प्रस्तुत की जावे।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव 05/05/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2. **Proposal No. SIA/MP/MIN/545202/2025, Case No. P2/1112/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area of 2.36 Ha. for Production Capacity of 60,000 cum/year (M-Sand-50,000 cum/year & Gitti-5,000 cum/year & Boulder-5,000 cum/year), at khasra no. 11, Village- Lakhanpura Tehsil- Dabra District Gwalior (M.P.) by Smt. Somvati, Partner, M/s Baba Haridas Sand Industries, R/o - Makan No.-4, Hind Colony, Sai Mandir, District- Gwalior (M.P.) – 474006**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 एवं 847वी बैठक दिनांक 24.11.2025 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

“ **Committee observed that:-**

- *PP/Consultant has not submitted information about existing operated mines within 500 mt radius of this lease area.*
- *Information regarding existing trees and vegetation within the lease area is also not submitted from the concerned DFO.*
- *In the Google image (January 2024) about 40% area in the south side of the proposed lease is densely vegetated.*

In view of above facts the committee is of considered opinion to abide by earlier decision of SEAC meeting 847th dated 24/11/2025 not to recommend the case for grant of EC.”

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु के संबंध में जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष ADS के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। प्राधिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल पर परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दुवार जानकारी ADS के माध्यम से प्रस्तुत की गई तथा लीज क्षेत्र में Existing trees and vegetation के संबंध में कलेक्टर से अभिप्रमाणित जानकारी भी प्रस्तुत की थी। इसके उपरांत भी SEAC समिति द्वारा प्रकरण में उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पुनः EC निरस्त किये जाने की अनुशंसा किस आधार पर की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी एवं परियोजना प्रस्तावक के आवेदन अनुसार प्रकरण में चाही गई उपरोक्त जानकारी के संबंध में SEAC समिति द्वारा पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव 05/05/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य 06/05/26

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

3. Proposal No. SIA/MP/MIN/556056/2025, Case No. P2/1056/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.3 ha., for Production Capacity of 35000 m3/year, at khasra no. 344/1/2, Village Chandbad Kadeem, Tehsil- Berasia, District Bhopal (MP) by Shri Rahul Malviya, R/o 68-69, Mahakali Society, Gulmohar, Bhopal (M. P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल द्वारा पत्र क्र. 573 दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वीं बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर) 05/05/26
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण


4. Proposal No. SIA/MP/MIN/561174/2025, Case No. P2/1062/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for Production Capacity of Stone (Gitti) -9,000 Cu.mt/year, M-Sand 21,000 cubic meter/year and Murrum- 5,000 cubic meter/year, at khasra no. – 165, Village – Kanakhedi Ekhaspur, Tehsil- Mahidpur, District Ujjain (M.P.) by Shri Manoj Jain, Owner, R/o- New Durga Marg, Main Road Mahidpur Road Ujjain, District-Ujjain, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न लीज स्वीकृति आदेश क्र. 3470-74 दिनांक 15.03.2024 की वैधता संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 8629 दिनांक 19.08.2025 के अनुसार दिनांक 14.03.2026 को समाप्त हो गई है, चूंकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर दिनांक 04.02.2025 को आवेदन किया गया उस समय लीज स्वीकृति आदेश की अवधि वैध थी। अतः उक्त लीज स्वीकृति आदेश स्वीकार योग्य है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 3470-74 दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.03.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।



(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड़ की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वीं बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

5. Proposal No. SIA/MP/MIN/561973/2025, Case No. P2/1202/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.75 hectares, for production capacity of Gitti 10,000 Cu.mt/year, M-Sand 7,000 Cu.mt/year and Murrum 3,000 Cu.mt/year, at Khasra No. 321, Village - Digaonkhurd, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.) by Shri Krishnpal Singh Partner M/s Damodar Mineral R/o Sitamau Phatak Mandsaur, District Mandsaur, M.P

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर द्वारा पत्र क्र. 1698 दिनांक 06.12.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/543621/2025, Case No.P2/1828/2025 Prior Environment Clearance for Murum Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 3.00 ha., for production capacity of 18,000 Cu.m/year, at khasra No. 254/1, 254/2, Village Khonkar Tehsil Kolaras & District Shivpuri, (M.P.) by Shri Kishan Singh Rawat, Padora Sadak Kalaras Shivpuri Kolaras Madhya Pradesh-473774

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन खसरा नम्बर 254/1 एवं 254/2 के लिये किया गया किन्तु परिवेश पोर्टल पर 254/2 का खसरा पंचशाला अपलोड किया गया है 254/1 का खसरा पंचशाला अपलोड नहीं है। चूंकि म.प्र. भू-अभिलेख की वेबसाइट पर खसरा नम्बर 254/1 की पुष्टि की गई जो कि शासकीय खसरा पाया गया एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी ई-मेल दिनांक 29.04.2026 के माध्यम से खसरा नम्बर 254/1 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी द्वारा पत्र क्र. 955 दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड़ की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

05/05/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. **Proposal No. SIA/MP/MIN/466429/2024, Case no. P2/948/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry, in an area of 1.50 Ha., for production capacity of 7,000 M3/ Year, at khasra no. 2052, Village- Narhela Tehsil Joura District Morena (M.P.) by Shri Dharmendra Sharma R/o Bajrang Gali Islamipura Ward - 04, Joura, District Morena (M.P.) 476221**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

" समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं की समिति द्वारा अवलोकन करने पर पाया कि लीज क्षेत्र का बेरियर जोन पूर्वी दिशा में एवं दक्षिणी दिशा में खुदा हुआ है जिसका रिस्टोरेशन करना संभव नहीं दिखाई देता। साथ ही खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति भी अवलोकित नहीं हुई।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है अतः ऐसी स्थिति में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जाती है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8. Proposal No. SIA/MP/MIN/559771/2025, Case no. P2/1440/2025 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.580 Ha., for production capacity of 55,000 Metric Ton Per Year, at Khasra No. 574, 596, 597, 598, 599, 602, 603, 604, 605, 606 & 731, Village Katamal, Tehsil Bichhiya & District- Mandla (MP) by Smt. Sheela Patle, Proponent, Harkaniwas, Narmada Colony, Dada Dhaniram Ward, Aangantiraha, Maharajpur, Mandla (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रश्नाधीन प्रकरण की गूगल ईमेज के आधार पर एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार पाया गया कि खदान क्षेत्र से 106 मीटर की दूरी पर एक साईट ऑफिस परिलक्षित है। चूंकि साईट ऑफिस में लोगो का आना जाना व रूकना भी होता है एवं प्रश्नाधीन प्रकरण में ब्लास्टिंग भी प्रस्तावित है जिसका इम्पेक्ट काफी दूर तक होता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत उक्त साईट ऑफिस में कितने लोग रहते हैं तथा उसका ब्लास्टिंग के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा के संबंध में जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर) 05/05/26 (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य सचिव सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9. Proposal No.SIA/MP/MIN/558228/2025, Case No. P2/1139/2025 Prior Environment Clearance for Stone and Murrum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 3.5 ha., for production capacity of 106590 cum per annum (stone Boulder- 42636 M3/Y, M-Sand- 42636 M3 /Y & Murrum- 21318 M3/Y), at Khasra No. 463/1, Village- Behrana, Tehsil- Bina, District- Sagar (M.P.) by Shri Abhinay Badkul, Partner, R K Stone Creshar, 10/116 Kachcha Road Pathak Ward Bina Station Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रश्नाधीन प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर अपलोड जनसुनवाई में 06 लोगो द्वारा उठाये गये मुद्दे उठाये गये जिनमें से श्रीमती शारदा आदिवासी ग्राम हिरना द्वारा बताया गया कि "मेरी जमीन खदान परियोजना ने हड़प ली है। मेरे पिताजी के नाम से जमीन है। जिसका खसरा नम्बर 466 है।" जनसुनवाई में उठाये गये सभी मुद्दों को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बीना, जिला सागर एवं क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर की उपस्थिति में निराकृत किया गया तथा बताया गया कि उक्त खदान खसरा नम्बर 463/1 जो शासकीय भूमि है पर स्वीकृत है जो कि खसरा नम्बर 466 से 300 मीटर दूरी पर है। साथ ही प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर अपलोड लीज स्वीकृति आदेश, अनुमोदित खनन योजना, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी CTE, ग्राम पंचायत अनापत्ति इत्यादि भी खसरा नम्बर 463/1 की जारी की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 16260 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से दिनांक 06.08.2023 से 10 वर्ष (दिनांक 05.08.2033 तक) की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने के पूर्व जिले के सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा पुष्टि/सत्यापन उपरांत यह सुनिश्चित होने पर ही कि लोक सुनवाई में प्राप्त सभी 06 आपत्तियों के संबंध में वस्तुस्थिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्नक-5 में वर्णित अनुसार ही है एवं उक्त आपत्तियां निराधार है, की अधिकारिक पुष्टि होने के पश्चात् ही किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशासित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

03/05/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

10. Proposal No.SIA/MP/MIN/545622/2025, Case No.P2/1973/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for production capacity of Gitti-2000 cubic meter per annum & M-Sand 18002.7 cubic meter per annum, at Khasra No. 764, 765/2, Village Dewal Tehsil- Bina District Sagar (M.P.) by Shri Devendra Tomar, Owner, S/o Lokman Tomar 330 Pagara Gram Sagar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 एवं 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 एवं 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर द्वारा पत्र क्र. 766 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.05.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के अंदर मौजूद कुआ एवं लीज क्षेत्र से 150 की दूरी पर स्थित कुएँ का संरक्षण किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर)

सदस्य सचिव

05/05/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)


सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)

अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
28/04/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

11 - Proposal No. SIA/MP/MIN/552845/2025, Case No. P2/1156/2025 Prior Environment Clearance for Stone and Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., For Production Capacity of 25,000 cum per annum and Murrum 20,000 cum per annum, at Khasra No. 507, 508, 511, 512, Village-Khutpala, Tehsil Sardarpur & District Dhar (M.P.). by Smt. Madhubala Patidar, Owner, Situated Near Village Khutpala Tehsil Sardarpur District-Dhar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा पत्र क्र. 2400 दिनांक 03.10.2024 के माध्यम से दिनांक 23.05.2031 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.05.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड अनुमोदित खनन योजना की अवधि दिनांक 23.05.2026 को समाप्त हो रही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त नवीन खनन योजना अनुमोदित करवाये जाने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वीं बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
08/05/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

12. Proposal No. SIA/MP/MIN/555502/2025, Case No. P2/1086/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine, in an area of 1.486 ha., For Production Capacity of gitti 11001 cum per annum & M-Sand- 7334 cum per annum at Khasra No. 01, Village Majhgawan, Tehsil-Rajnagar District Chhatarpur (M.P.) by Shri Gorelal Adiwasi, Owner, S/o- Betoolal Adiwasi, Gram Ghutehi Post Bhitri Mutmuru, Tehsil Pawai, Ghutehi Chhatarpur (M.P.)


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

“ ----- Based on the submissions made by the Project Proponent in response to the EIA queries, the potential environmental impacts of the project Baseline Survey, Public Hearing issues and the mitigation measures proposed therein are found satisfactory, however LoI from Collector office (खनिज शाखा) Chhatarpur, dated 15.03.2024 for the period of 18 months is found invalid.


In view of above as the lease is not valid hence case is not recommended for grant of EC..”

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय उक्त लीज पत्र वैध था। परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा ई-मेल दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रकरण से संबंधित लीज पत्र की वैधता विस्तार का दस्तावेज प्राप्त हो गया है, तथा SEAC समिति द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष वैध लीज प्रमाण पत्र/जानकारी प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/04/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/561726/2025 Case No.11093/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 Ha., For Production Capacity of 8000 cum per year, at Khasra No. 840, Village-Banikhedi, Tehsil-Daloda, District-Mandsaur (MP) by Shri Ishwar Patidar, R/o Makaan No. 444, Ward No.- 15, Tehsil- Dalauda, District-Mandsaur (MP)-458667

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन में एकल प्रमाण पत्र की प्रति अलग से अपलोड न करते हुए प्रति ईआईए अध्ययन प्रतिवेदन (EIA Report) के साथ संलग्न किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वीं बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 7402 दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से दिनांक 21.07.2020 से 10 वर्ष तक नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.07.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वीं बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/04/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


14. Proposal No. SIA/MP/MIN/561674/2025 Case No. 11119/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., For Production Capacity of - 6,000 Cu.mt/year, at Khasra No. 1/2, Village Arniyameena, Tehsil Malhargarh & District Mandsaur (M.P.). by Shri Pawan Patidar, Lessee, Yash Nagar, Mandsaur (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड अनुमोदित खनन योजना की अवधि दिनांक 17.02.2026 को समाप्त हो गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन अनुमोदित खनन योजना अपलोड की जाये।
2. प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर अपलोड संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का लीज स्वीकृति आदेश क्र. 7359-61 दिनांक 10.04.2017 के अनुसार प्रश्नाधीन खदान के खसरा नम्बर 1/2 के मध्य में स्थित खसरा नम्बर 1/3 की नोईयत अनुसार तालाब है, किन्तु मौके पर तालाब नहीं है का उल्लेख किया गया है। अतः कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा उक्त क्षेत्र का भौतिक सत्यापन करवाकर स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जावे कि क्या खसरा नम्बर 1/3 की भूमि पर तालाब स्थित है अथवा नहीं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्रमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक से एवं बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी जिला कलेक्टर से 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/05/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/557803/2025; Case No.: P2/1991/2025: Prior Environment Clearance for area development Proposed Project is Expansion of BPCL Bina Refinery Township Project for Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) at. Survey No. - 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 22, 23, 24, 118/1, 119/2 Village- Paar, Survey No. - 160/1, 161, 162, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 174, Village- Bamhori Kela, Survey No. - 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 352, Village- Bildhai Bujurg, Tehsil- Bina, Dist. Sagar, (M.P.). Total Plot Area - 11,29,900 sq.mt. (112.99 Hectare), Total Built-up Area-3,08,715 sq.mt. (Existing: 1,23,258 m² + Expansion: 1,85,457 m²) sq.mt. by Shri Anil T Medhe, Dy. General Manager- HSE, M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd., Deputy General Manager Pipeline Projects Bharat Petroleum Corporation Ltd BPCL Refinery Mahul, Chembur, Mumbai (Maharashtra) 400074.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रश्नाधीन प्रकरण Expansion EC हेतु श्रेणी 8(b) Township & Area Development के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्पष्टतः असंगत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकरण में पूर्व में Township & Area Development परियोजना के लिये प्राप्त की गई पर्यावरण स्वीकृति/CTE/CTO की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त प्रकरण Expansion EC के अंतर्गत आता है।
2. TNCP से संबंधित दस्तावेजों में आंशिक स्वीकृतियाँ सम्मिलित हैं प्रस्तुत दस्तावेजों से कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (Approved Area) स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है साथ ही प्रस्तुत लेआउट प्लान (04.06.2015) में केवल विद्यमान निर्मित क्षेत्र (Existing Built-up Area) दर्शाया गया है, प्रस्तावित विस्तार के अंतर्गत 1,85,457 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे प्रकरण में तथ्यात्मक स्पष्टता परिलक्षित नहीं हो रही है।
3. जल आवश्यकता हेतु आवश्यक NOC के स्थान पर Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) एवं WRD के मध्य बेतवा नदी से जल प्राप्ति हेतु Agreement का उल्लेख किया गया है, परंतु उक्त Agreement की प्रति संलग्न नहीं है। वर्तमान विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए अद्यतन दस्तावेज/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।
4. SEIAA के OM दिनांक 20.06.2019 के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल के निपटान हेतु NOC अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा Zero Liquid Discharge का दावा किया गया है, तथापि इस संबंध में स्पष्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्रमांक 1 से 4 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाय तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/04/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/MIN/557086/2025, Case No. - P2/1068/2025, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 Ha., For production capacity of 20,235 cubic meter per year, at Khasra No. 200/1, Village- Abidabad, Tehsil – Ichhawar, District - Sehore (M.P.) by M/s. Sahyog Metals, E-2/42, Arera Colony Bhopal, R.S. Nagar Madhya Pradesh-462016

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ग्राम पंचायत की अनापत्ति दिनांक 20.07.2014 की अपलोड की गई है जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम भी भिन्न है, जबकि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के नाम दिनांक 14.03.2024 को लीज स्वीकृति आदेश जारी किया गया है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा किस आधार पर 10 वर्ष पूर्व की किस अन्य के नाम की ग्राम पंचायत अनापत्ति अपलोड की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत आविदाबाद की नवीन अनापत्ति स्वयं के नाम पर प्राप्त कर 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

05/05/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/560990/2025 Case No. P2/40/2024 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.5 ha. (Mineable area is 0.78 ha. as per SEIAA decision), for production capacity of 21165 Tons per Annum (as per SEIAA decision), at Khasra No. 307/3 Ka village-Lilauri, Tehsil-Raghurajnagar, District-Satna (M.P.). by Shri Puniya Kondar, Individual, Ward No. 1, Padeapurawa, Ajaygarh, Aramganj, panna (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 874वी बैठक दिनांक 10.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा पत्र क्र. 18(D(A&M)/खनिज/उ.प./न.क्र. 8/2021 दिनांक 08.04.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं आबादी से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) प्रस्तावित खदान के पास स्थित पक्की सड़क एवं मानव बसाहट से निर्धारित दूरी 200 मीटर तक छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र 4.50 हेक्टेयर में से 0.78 हेक्टेयर उपलब्ध होता है जिसके समानुपात में अधिकतम उत्पादन क्षमता 122102 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर 21165 टन प्रतिवर्ष ही खनन किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वीं बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/04/26



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/520988/2025 Case No P2/339/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 5.00 Hectare, For production capacity of 35200 cum per annum, at Khasra No.- 610, in Village - Kachharghat, Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP). by Ramakant Panday, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

" In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc.

Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of technical sound Replenishment Study"

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया है, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रप्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

05/05/26

(डॉ. सुनदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

19. Proposal No. SIA/MP/MIN/520857/2025 Case No P2/345/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 3.190 Hectare, For production capacity of 28710 cum per annum, at Khasra No.- 665, 666, 668, in Village - Sanduri , Tehsil - Mehgaon, District - Bhind (MP). by Ramakant Panday, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

" In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc.

Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of technical sound Replenishment Study"

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया हैं, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्नेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/520557/2025 Case No P2/348/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine, in an area of 23.810 Hectare For production capacity of 182860 cum per annum at Khasra No.- 1576, in Village - Ajnar-1, Tehsil - Lahar, District - Bhind (MP). by Shri Dinesh Kumar Pathak, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 873वी बैठक दिनांक 06.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

" In line of compliance of the Hon'ble Supreme Court Order it is proposed that state government must get compliance done wrt replenishment study from any reputed government institutions viz. IITs, ISM Dhanwad, CMPDI, NPC, CSIR etc.

Committee decided that this case cannot be recommended for grant of EC in lack of technical sound Replenishment Study"

उपर्युक्तानुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में SEAC ने EC की अनुशंसा नहीं की है। SEAC के अनुसार Replenishment Study अपूर्ण है। म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पर्यावरण सलाहकार ने Replenishment Study की जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में SEIAA के समक्ष EC Reject करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है, किन्तु शासन हित एवं म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के हित को दृष्टिगत रखते हुए, एक और अवसर देते हुए प्रकरण SEAC को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि Replenishment Study में जो खामिया हैं, उन्हें चिन्हांकित कर, उनकी जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। इसके अलावा भी प्रकरण में सभी आवश्यक सुसंगत जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जावे। यदि खनिज विभाग/माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रकरणों में पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये म.प्र. शासन खनिज विभाग से अनुरोध किया जावे एवं SEIAA को अवगत कराया जावे।

म.प्र. शासन खनिज विभाग से भी अनुरोध किया जावे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये परिवेश पोर्टल पर आवेदन करते समय ईआईए अधिसूचना 2006, कार्यालयीन ज्ञापन, परिपत्र गाईडलाईन एवं माननीय न्यायालयों के आदेशों आदि के विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जावे एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान SEAC द्वारा चाही गई जानकारी भी प्रस्तुत की जावे।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रप्रेषित किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

21. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/561187/2026; Case No. P2/2247/2026: Prior Environment Clearance for Construction of "Hotel Taj" by Manikaran Commercials Private Limited at Plot B-82, Scheme No. 151, Super Corridor, Village - Bada Bangarda, Tehsil Malharganj, District Indore (M.P.). Total Built-up Area 59,250.6 sq.mt., Plot Area 17,547.25 sq.mt., by Shri Karan Singh Chhabra, Director, Manikaran Commercials Private Limited, 1-A-D Chhabra House, Scheme No. 74- C, Indore, Distt. – Indore (M.P.)- 452010.


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 में निर्धारित शर्तों के अधीन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति(EC)प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।


प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-


उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. उक्त परियोजना मणिकरण कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लॉट बी-82, स्कीम नंबर 151, सुपर कॉरिडोर, ग्राम बड़ा बंगारदा, तहसील मल्हारगंज, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में "होटल ताज" के निर्माण हेतु प्रस्तुत है। यह प्रस्ताव श्री करण सिंह छाबड़ा, निदेशक, मणिकरण कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड, 1-ए-डी, छाबड़ा हाउस, स्कीम नंबर 74-सी, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) 452010 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 17,547.25 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र 59,250.6 वर्ग मीटर है जो 1,50,000.00 sq.m से कम है इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 869वी बैठक दिनांक 12.02.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 1 से 13 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

SN	Information Required	Details
1.	Project Name/ Description of Project	M/s Manikaran Commercials Pvt. Ltd. is proposing a construction of "Hotel Taj" at Plot B-82, Scheme No. 151, Super Corridor, Village Bada Bangarda, Tehsil Malharganj, District Indore (M.P.).


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

2.	Area details	Total Built-up Area - 59,250.6 sq.m, Plot Area - 17,547.25 sq.m,
3.	Project Cost.	51131Lakhs.
4.	Project Lat./Long.	22°45'22.18"N and 75°48'27.38"E.
5.	SPCB Comments/ CTE/CTO Validity.	PCB ID: 173253, Consent No:CTE-63632, Outward No:129213,04/01/2026, Consent to Establish up to 31/12/2030. Built-up Area (Hotel Building)- 59250.6 Square Meter.
6.	High Rise Permission details.	Permission letter 52 dated 03/01/2025.
7.	Land Registry Papers	Sub Registrar office Indore 4 date 17/05/2024.
8.	Water NoC details.	IMC Indore issued vide letter no.1530 Indore dt. 25/02/2014.
9.	MSW NoC details.	IMC Health Deptt. Indore issued vide letter no. 695 dt. 20/06/2016.
10.	Extra Treated water NoC	IMC Indore issued vide letter no. 1055 Indore dated 13/07/2016.
11.	Water requirement details	Total Water Requirement: 795 KLD Fresh Water Requirement: 410 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 384 KLD
12.	Sewage Treatment & Disposal.	STP Capacity: 470 KLD Sewage Discharge: 384 KLD of water will be obtained after the recycling of wastewater out of which 106 KLD shall be utilized for the purpose of flushing,269 KLD for HVAC and 9 KLD in green area.

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

07/05/24

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वीं बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

13.	DG set capacity details.	3 DG sets of total capacity 7500 KVA (3×2500 KVA)
14.	Rain water Harvesting Pits.	16 No.
15.	Proposed green area @ 10 %	1754.4 m ²
16.	Environmental Consultant details.	Shri Pradeep Chandana, Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.), Valid up to 02/ 07/2026.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी, **ADS** जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की **869**वीं बैठक दिनांक **12.02.2026** की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**)की **947**वीं बैठक दिनांक **30.04.2026**में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों, मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्न बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को **EIA अधिसूचना 2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
- परियोजना के जलापूर्तिके लिये अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/05/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. प्रस्तावित भवन में संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।
- ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीएसआर/सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीएसआर/सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

22. Proposal No.SIA/MP/MIN/536801/2025, Case No. P2/1517/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.797 ha. (Minable area is 0.5614 ha. as per SEAC recommendation), for production capacity of Gitti 4,000 m3/year & M-Sand 4,000 m3/year, at at Khasra No. 54 & 53, 7/3, 8/1, Village - Nandgaon, Tehsil- Sanawad, District- Khargone (M.P.)by Shri Mushtaq Malik, S/o Shri Abdul Sattar Malik, resides at Vaishnav Colony, Sanawad, Tehsil Sanawad, District Khargone (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 809वी बैठक दिनांक 10.07.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 940वी बैठक दिनांक 23.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-


प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान रकबा 1.710 हेक्टेयर की स्वीकृत होना बताई गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा एवं गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान श्री ओमप्रकाश बंशा रकबा 1.70 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 16.05.2027 तक) एवं श्री गुजरेज मलिक रकबा 1.80 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 26.06.2028 तक) स्वीकृत/संचालित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 5.297 हेक्टेयर होता है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी में आता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर खरगौन द्वारा प्रश्नाधीन खदान में जारी एकल प्रमाण पत्र एवं PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वस्तुस्थिति के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत/जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 16.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 एवं 809वी बैठक दिनांक 10.07.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-



(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा पत्र क्र. 5036 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 100 मीटर एवं हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 30 मीटर दोनो ओर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (v) प्रस्तावित खदान के पास स्थित नहर से निर्धारित दूरी 100 मीटर एवं हाईटेंशन लाईन से निर्धारित दूरी दोनो ओर 30-30 मीटर तक छोड़ने के उपरांत कुल क्षेत्रफल 1.797 हेक्टेयर में से दक्षिण दिशा में स्थित प्रथम भाग खनन योग्य क्षेत्र 0.5614 हेक्टेयर उपलब्ध होता है जिस पर ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य किया जायेगा एवं उत्तर दिशा में स्थित द्वितीय भाग में एम.सेण्ड प्लान्ट रकबा 2155 वर्गमीटर में स्थापित किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कचेवर)
सदस्य सचिव
05/05/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

23. Proposal No. SIA/MP/MIN/407337/2024, प्रकरण क्र. 7669/2020 परियोजना प्रस्तावक मोहम्मद आसिफ खान आत्मज श्री अब्दुल खान, ग्राम बरखेड़ी टुण्डा, पोस्ट बरखेड़ी चौराहा, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11930 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.17 हेक्टेयर (Minable area is 3.00 ha. as per SEAC recommendation), खसरा नम्बर 198, ग्राम खोह, तहसील – रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 933वीं बैठक दिनांक 28.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 776वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के दक्षिण पूर्व दिशा में खनन क्षेत्र के अंदर 04-05 मकान तथा खदान के समीपस्थ घनी आबादी एवं उत्तर पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर शमशान घाट परिलक्षित है। अतः कलेक्टर, जिला रायसेन से स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये कि उक्त क्षेत्र में मानव बसाहट एवं शमशान घाट को देखते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 15.01.2026 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 776वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 में कलेक्टर जिला रायसेन से चाही गई जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 16.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-



(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन द्वारा पत्र क्र. 202 दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.03.2029 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/05/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष





राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गॉव व नजदीकी गॉव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड़ की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/05/24


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

24. Proposal No. SIA/MP/MIN/519082/2025, Case No P2/984/2024, Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 7.231 Ha., for production capacity of 2,50,000 M3/Year, at khasra no. 2732, 2733, 2734, 2731/1/Min-1, 2755/1/MIN-1, 2755/1/Min-2, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752/2, 2752/Min-1, 2753, 2754, 2731/2, Village Bilaua, Tehsil- Dabra, District Gwalior, (M.P.) by M/s Shree Shyam Sarkar Stone Crusher LLP, Partner Shri Vishnu Kumar Singhal, R/o 502 Satyam Residency, Tower Alkapuri Tiraha City Center, Gird, Gwalior (M.P.) – 474011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 843वी बैठक दिनांक 10.11.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 927वी बैठक दिनांक 07.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. पूर्व में स्वीकृत 04 खदानों के बैरियर जोन में किये गये वृक्षारोपण परिलक्षित नहीं हो रहे हैं एवं बैरियर जोन भी परिलक्षित नहीं है। उक्त खदानों के बैरियर जोन में प्रस्तावित वृक्षारोपण को परियोजना प्रस्तावक द्वारा किस स्थान पर किया गया है, किस प्रजाति के कितने पेड़ लगाये गये हैं के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के प्रस्तुत किये जायें।
2. उक्त 04 खदानों में प्रस्तावित CER (Corporate Environment Responsibility) के तहत क्या-क्या कार्य कब-कब किये गये के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के प्रस्तुत किये जायें।
3. प्रश्नाधीन प्रकरण में EMP के तहत प्रस्तावित Grazing Land को कहा Develop किया जायेगा के संबंध में प्लान प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान का जियोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या होगा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षारोपण के तहत पौधों का रोपण कहा किया जायेगा के संबंध में ग्रीनबेल्ट प्लान प्रस्तुत किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 5 तक जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.03.2026 के माध्यम से स्पष्टीकरण एवं जानकारी प्रस्तुत की गई।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही, तथ्यात्मक व उचित प्रतीत नहीं होती है जिस कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

25. Proposal No. SIA/MP/MIN/551741/2025 Case No. P2/2236/2025 Prior Environment Clearance Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 Ha., for Production Capacity 18,000 cubic meters per year, at Khasra No – 61, Kholpura, Tehsil: Singoli, District: Neemuch, (M.P) by Shree Maruti Stone Crusher, Owner, Gram - Kholpura Post-Thadod Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 865वी बैठक दिनांक 03.02.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. बैरियर जोन में कौन-कौन सी प्रजाति के कितने पौधों का रोपण किया जायेगा एवं उनके सुरक्षा के क्या उपाय किये गये हैं के संबंध में प्लान प्रस्तुत करें।
2. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत पौधों के रोपण के संबंध में प्लान प्रस्तुत करें।
3. सी.ई.आर. गतिविधियों का प्लान प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की जावे। इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई जो कि अपूर्ण है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी बिन्दुवार नहीं है तथा जानकारी अपूर्ण है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 941वी बैठक दिनांक 24.02.2026 में चाही गई विन्दुवार जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

26. Proposal No. SIA/MP/MIN/544317/2025, Case no. P2/1835/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha. for Production Capacity of Stone (Gitti)- 8000 m³/Year & M-Sand – 10,000 m³/Year, Khasra No. 851/9/1 (S), Village Pathara, Tehsil- Jatara, District: - Tikamgarh (M.P) by Shri Shivaji Sahu S/o Shri Chhotelal Sahu R/O-Gram- Ward no. 15, Block Colony Jatara, Tehsil Jatara, District-Tikamgarh (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 940वी बैठक दिनांक 23.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खदान श्री धर्मवीर सिंह गौर रकबा 2.00 हेक्टेयर की स्वीकृत/संचालित होना बताई गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में श्री धर्मवीर सिंह गौर की खदान रकबा 4.00 हेक्टेयर (लीज अवधि दिनांक 09.04.2027 तक) स्वीकृत/संचालित होना दर्शित है जिसको मिलाकर कुल रकबा 6.00 हेक्टेयर होता है। अतः प्रकरण प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र कूटरेखित प्रतीत होता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर खरगौन द्वारा प्रश्नाधीन खदान में जारी एकल प्रमाण पत्र एवं PM Gatishakti Portal पर खनिज विभाग द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वस्तुस्थिति के संबंध में स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत/जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 864वी बैठक दिनांक 27.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्र. 2624 दिनांक 09.01.2025 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 22.01.2035 तक) की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/01/26



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/05/26


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

27. Proposal No. SIA/MP/MIN/542632/2025, Case No. P2/1823/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha. for Production Capacity of 20,610 cum per annum, at Khasra No. 15/2 (S) (Part), Village- Barmadang Tehsil- Jatara District Tikamgarh (M.P.) by Shri Vijay Singh Ghosh, S/o Ramcharan Ghosh, R/o 3 Barmadang, Barmadangkhas, PO Barmadang, Distt: Tikamgarh MP, 472339

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 849वी बैठक दिनांक 02.12.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 930वी बैठक दिनांक 19.01.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान में काफी संख्या में पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसके संबंध में SEAC द्वारा भी अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में कुल कितने पेड़ हैं, किस प्रजाति के हैं तथा पेड़ों के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये हैं, एवं पेड़ों को काटने व उनके एवज में 10 गुना वृक्षारोपण (Compensatory Plantation) का प्लान जिला कलेक्टर टीकमगढ़ से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी को परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव
05/04/26

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण

28. Proposal No. SIA/MP/MIN/559619/2025, Case No. 5684/2018 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast Semi Mechanized Method), in an area of 4.502 Ha., for production capacity of 8000 cum/year, at Khasra No. 1/1/3, 5/1/1/1/1/1/6, 5/1/1/1/1/1/1/2k, 5/1/1/1/1/1/1/1/2 kha, at Village- Sitapuri, Tehsil- Manawar, Dist- Dhar (M.P.) by Shri Harish Khandelwal, S/o Shri Ranchordas Khandelwal, 138/G, Vallabh Bhai Patel Marg, Main Dhar Road, Ward No. 3, Manawar, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar, MP – 454446 Regarding transfer of EC in the name of M/s. UltraTech Cement Limited, Ahura Centre, 1st Floor, A Wing, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai-400093

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 862वी बैठक दिनांक 20.01.2026 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 939वी बैठक दिनांक 17.02.2026 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुसार सी.ई.आर गतिविधि के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किये गये हैं के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. किस प्रजाति के कितने पौधों का रोपण कहा-कहा किया गया है के फोटोग्राफ अक्षांश देशांश के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं बैरियर जोन में वृक्षारोपण भी परिलक्षित नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में खदान में कितनी गहराई तक खनन कार्य किया गया है का उल्लेख अनुपालन प्रतिवेदन में नहीं है।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग परिलक्षित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा दस्तावेज एवं फोटोग्राफ अक्षांश देशांश के साथ प्रस्तुत किये जाये एवं पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वर्तमान स्थिति के आधार पर 15 दिवस में प्रस्तुत किया जावे। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही, तथ्यात्मक व उचित प्रतीत नहीं होती है जिस कारण प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(सुधीर कुमार कोचर)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें(भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट -1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :-
 - a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदनुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
 - c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशानिर्देशों के अधीनमान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण**

10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. For firefighting:-
 - a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required 2016 project site as per NBC fire fighting arrangement should be made available on the
 - b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
 - c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, Gol notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - <http://www.environmentclearance.nic.in/>

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 947वी बैठक दिनांक
30.04.2026 का कार्यवाही विवरण**

or <http://www.efclearance.nic.in/> and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, Gol at Bhopal and MPPCB.
26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.
28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.
30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.
31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal.
33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.